

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 786 /145/आउशि/बजट/2019  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/4/2019

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश

विषय- "योजना क्रमांक 3446- खेलकूद प्रोत्साहन" योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट आबंटन संबंधी।

उपरोक्त विषय में ज्ञात हो कि योजना क्रमांक 3446-खेलकूद प्रोत्साहन योजना एवं योजना अन्तर्गत महाविद्यालयों को विगत वर्षों में समय-समय पर उनकी मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के आधार पर आबंटन जारी किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजना क्रमांक 3446-खेलकूद प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत बजट प्रावधान किया गया है। अतः जिन शासकीय महाविद्यालयों को योजना 3446-खेलकूद प्रोत्साहन अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए सामग्री तथा खेलकूद उपकरण इत्यादि की आवश्यकता है, वह वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्ताव 15 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

प्रारूप

महावि. का नाम ..... कुल छात्र संख्या ..... सामान्य..... एस.टी..... एस.सी..... वर्तमान में संचालित स्मार्ट कक्षाओं की संख्या.....

क.	सामग्री का नाम	महावि. में वर्तमान में उपलब्ध सामग्री/उपकरणों की संख्या	अतिरिक्त आवश्यकता (संख्या)	दर	कुल राशि	औचित्य

- उक्त योजना अन्तर्गत यदि गतवर्ष आबंटन प्राप्त हुआ है तो प्रस्ताव नहीं भेजें। यदि विशेष आवश्यकता है तो कारण स्पष्ट करते हुए वास्तविक आवश्यकता अनुसार पूर्ण औचित्य के साथ ही प्रस्ताव भेजें।
- उपरोक्त सामग्री/प्रस्ताव के संबंध में आवश्यकता का स्पष्ट औचित्य, कय समिति की अनुशंसा सामग्री की दर एवं कुल राशि इत्यादि जानकारी के साथ प्रस्ताव भेजें।
- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राचार्य के हस्ताक्षरयुक्त पत्र बजट शाखा के ई-मेल [budgethedu@mp.gov.in](mailto:budgethedu@mp.gov.in) मेल करें एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध करायें।
- प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ स्पष्ट होना चाहिए। अपूर्ण एवं अस्पष्ट तथा समयावधि में प्राप्त नहीं होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

8-27/4/2019  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश